न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6/2018, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

उनवान

1. कलावती देवी पत्नि जगन्नाथ
2. चेतन पुत्र जगन्नाथ
3. मंजू देवी पत्नि छोटेलाल
4. अभिषेक पुत्र छोटेलाल
5. अनामिका पुत्री छोटेलाल

} जाति ब्राह्मण निवासी शेखपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

6. हीरा पुत्री जगन्नाथ पत्नि अनिल जाति ब्राह्मण निवासी पूर्विया मौहल्ला दौसा।
7. तुलसी पुत्री जगन्नाथ पत्नि सुरेश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी शिक्षक कॉलोनी गुप्तेश्वर रोड दौसा।
8. शोभा पुत्री जगन्नाथ पत्नि हरिकिशन जाति ब्राह्मण निवासी खजाने वालो का रास्ता जयपुर।
9. मीना पुत्री जगन्नाथ पत्नि दिनेश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी व्यास मौहल्ला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र कन्हैयालाल
2. राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल
3. श्रीनारायण पुत्र फूल्या

} जाति ब्राह्मण निवासी देवरी तहसील सिकराय जिला दौसा।

4. ग्राम पंचायत शेखपुरा पंचायत समिति सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. उपखण्ड अधिकारी महोदय, सिकराय

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मिसल स्थानान्तरण विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय सिकराय बाबत अपील नामान्तरकण संख्या 868 दिनांक 26.10.2016 ग्राम देवरी तहसील सिकराय उनवानी पत्रावली रामजीलाल बनाम कलावती वगैराह, अपील नम्बर 1/2017 जिनमे आगामी तारीख पेशी 16.1.2018 नियत है।

उपस्थिति : श्री चन्द्रमोहन जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांक 21.2.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि एक अपील उनवानी रामजीलाल बनाम कलावती देवी वगैराह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन है। प्रार्थी नम्बर 2 ने अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 को अनेको बार उपखण्ड अधिकारी सिकराय के निवास पर इर्द गिर्द घूमते हुये देखा है। प्रार्थी नम्बर 2 को मालूम हुआ है कि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 उपखण्ड अधिकारी सिकराय पर राजनैतिक दबाव दिलाकर उनवानी प्रकरण का फैसला अपने पक्ष में कराने पर उतारू है। अतः उक्त पत्रावली अपील संख्या 1/2017 बउनवान रामजीलाल बनाम कलावती देवी को किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 उपखण्ड अधिकारी महोदय सिकराय पर राजनैतिक दबाव डलवाकर उक्त उनवानी प्रकरण का फैसला अपने पक्ष में करवाना चाहते है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी प्रकरण में नजदीक–नजदीक पेशियां दी जा रही है। उनवानी प्रकरण नामान्तरकरण की अपील से सम्बन्धित है। जिसमें मूल नामान्तरकरण तलब किये बगैर ही प्रकरण की बहस सुनने पर आमादा है। इसको देखते हुए प्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय सिकराय से न्याय की आशा नहीं है। इसलिये उक्त पत्रावली अपील संख्या 1/2017 बउनवान रामजीलाल बनाम कलावती देवी को किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण को देरी ना करने के उद्देश्य से उपखण्ड अधिकारी सिकराय व प्रत्युत्तर दाता के खिलाफ झूंठे लांछन लगाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे और यदि उक्त अपील को स्थानान्तरित करना मुनासिब समझे तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के अलावा किसी भी अन्य उपखण्ड अधिकारी को शीघ्र निस्तारण का आदेश देकर पत्रावली स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को प्रकरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं 1 लगायत 3 को प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के अलावा किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण को प्रकरण के निस्तारण की प्रक्रिया में उत्पन्न संदेह की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण अपील संख्या 1/2017 बउनवान रामजीलाल बनाम कलावती देवी से सम्बन्धित पत्रावली को सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय उक्त उनवानी प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली अविलम्ब न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा को भिजवाना सुनिश्चित करे। उपखण्ड अधिकारी सिकराय एवं दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी की जावे। उभयपक्ष दिनांक 23.3.2018 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में उपस्थित होवे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 21.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा